संख्या- 22/2025/812/002-53-2002-001-9-2022

प्रेषक,

राम आसरे राम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,

नन्द बाबा दुग्ध मिशन,

उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 17-11-2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नन्द बाबा दुग्ध मिशन हेतु राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-443/एसपीएमयू/लेखा(21)/2025-26, दिनांक 21-10-2025 एवं पत्रांकःसी-469/नन्द 469/नन्द बाबा दुग्ध मिशन/उप0 प्रमाण-पत्र(12)/2025-26, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''2404- डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-12-नन्द बाबा दुग्ध मिशन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/2025/500/001-53-2002-001-9-2022, दिनांक 16-07-2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 5000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 15000.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार रू0 5000.00(रू0 पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0सं0	योजना/मद विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुमोदित कार्ययोजना में प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव/निर्गत धनराशि	द्वितीय किश्त का प्रस्ताव/निर्गत किये जाने हेतु विचाराधीन धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			(रू0 लाख में)	(रू0 लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	(i)मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना	3379.00	1000.00	**1000.00**
	(ii)मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना	600.00	300.00	**200.00**
	(iii)नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना	3101.00	800.00	**1000.00**
	(iv)मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना	7005.00	225.00	**800.00**
	(v)प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन (प्रदेश में क्रियाशील दुग्ध मार्गों के अनाच्छादित ग्राम पंचायतों में)	4928.00	2400.00	**1733.00**
	(vi) पशु स्वास्थ्य एवं दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण किट	0.00	0.00	**0.00**
	(vii)डेयरी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता उन्नयन	209.00	50.00	**60.00**
	(viii)डिजिटाइजेशन ऑफ ए0आई0 सर्विसेस फार इन्श्योर्ड प्रेगनेन्सी इन कैटल योजना	0.00	0.00	**0.00**
	(ix)राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत संचालित ए0बी0आई0पी0-आई0बी0एफ0/ई0टी0टी0 योजना की गैप फंडिंग	0.00	0.00	**0.00**
	(x) नन्द बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल	0.00	0.00	**0.00**
	(xi)पुंगनूर गाय (Pungaur Cow) की योजना प्रदेश में संचालित करने हेतु अध्ययन	10.00	0.00	**0.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (एस0पी0एम0यू0)	314.00	110.00	**100.00**
3.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट(डी0पी0एम0यू0) 18 जनपदों में	454.00	115.00	**107.00**
	योग-	**20000.00**	**5000.00**	**5000.00**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

1. प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का आकलन, निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप, मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा किया जायेगा। योजनावार एवं जनपदवार चयनित लाभार्थियों का विवरण अनुदान प्रदान किये जाने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
3. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. आंकडों की शुद्धता का दायित्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 का होगा।
6. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये।
8. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
13. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 द्वारा स्टेट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजनाओं के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
14. अवमुक्त की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो, तो मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा उक्त ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की छायाप्रति शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
15. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिया जायेगा ।
16. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
17. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'डिजिटाइजेशन ऑफ ए0आई0 सर्विसेस फार इन्श्योर्ड प्रेगनेन्सी इन कैटल योजना' एवं 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत संचालित ए0बी0आई0पी0-आई0बी0एफ0/ई0टी0टी0 योजना की गैप फंडिंग' योजनाओं हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को अवमुक्त क्रमशः 35.00 लाख एवं 25.00 लाख की धनराशि के उपयोग से प्राप्त परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाय, जिससे उक्त योजनाओं के लोक हितकारी स्वरूप का मूल्यांकन करते हुए उनके विस्तारीकरण पर सम्यक विचार किया जा सके।
18. डेयरी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता उन्नयन योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत धनराशि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त द्वारा निर्गत धनराशि से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों एवं प्रशिक्षण संस्थान का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (एस0पी0एम0यू0) एवं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट(डी0पी0एम0यू0) 18 जनपदों के गठन/आउटसोर्स मैनपावर एवं अन्य मदों में विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त से हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाय।
20. नन्द बाबा दुग्ध मिशन की 'प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्षों 2023-24 में गठित 621 एवं 2024-25 में गठित 330 प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक समितियों में से ऐसी समितियों का विवरण उपलब्ध कराया जाय, जिनसे दुग्ध का संकलन किया जा रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021200 नन्द बाबा दुग्ध मिशन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-1-157-X-2025-26, दिनांक- 14 नवम्बर, 2025** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम आसरे राम,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 22/2025/812/002-53-2002-001-9-2022, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), प्रयागराज ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम आसरे राम,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।